"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2008—चैत्र 29, शक 1930

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-4
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक/389/प्र. 1/अ.वि.अ./08.—चूंकि सदर (प्रधान) श्री सलीमुद्दीन कुरैशी द्वारा "अहले सुन्नत मुस्लिम सांस्कृतिक ट्रस्ट" पता केलाबाड़ी सांस्कृतिक भवन चौक, दुर्ग (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11-4-2008 को विचार के लिये लिया जावेगा. -

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, क्यू. ए. खान, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 11-4-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले या किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	"अहले सुन्नत मुस्लिम सांस्कृतिक ट्रस्ट" केलाबाड़ी सांस्कृतिक भवन चौक, दुर्ग (छ. ग.)
(2)	संपत्ति	:	रुपये 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) समाज द्वारा संग्रहित राशि.

क्यू. ए. खान,
अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.